संख्या-514/2022/आई/222526/001- 41-1002-001-135/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 08 अक्टूबर, 2022

विषय:-पर्यटन विभाग उ0प्र0 द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक /पौराणिक/धार्मिक स्थलों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-4448/6-1-1(मूर्ति निर्माण)/2021-22**,** दिनांक 19.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके माध्यम से निदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 09.09.2022, सचिव, राज्य ललित कला अकादमी, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा जनपद प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान श्री राम एवं गुहराजा निषादराज के गले मिलते हुये 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा तथा जनपद बहराईच में चित्तौरा झील के निकट महाराजा सुहेलदेव की अश्वारोही ब्रान्ज प्रतिमा (40 फीट) का निर्माण हेतु 24 बिन्दुओं की सूचना एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	**प्रतिमा का विवरण**	**प्रस्तावित न्यूनतम लागत**	**प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि**	**टेण्डर लागत**
1	2	4	5	6
1.	जनपद प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान श्री राम एवं गुहराजा निषादराज के गले मिलते हुये 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा	न्यूनतम रू 0-4.70 करोड़	रू 0 2.00 करोड़	रू 0-4.70 करोड़
2.	जनपद बहराईच में चित्तौरा झील के निकट महाराजा सुहेलदेव की अश्वारोही ब्रान्ज प्रतिमा (40 फीट) का निर्माण	न्यूनतम रू 0-4.70 करोड़	रू 0 2.00 करोड़	रू 0-4.70 करोड़

2- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-665/2021/आई/ 117715/41-1002(001)/135/2021, दिनांक 30.11.2021 द्वारा निम्नवत् धनराशि महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर रखी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	**प्रतिमा का विवरण**	**प्रस्तावित न्यूनतम लागत**	**वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत लागत**
1	2	3	4
1.	जनपद प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान श्री राम एवं गुहराजा निषादराज के गले मिलते हुये 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा	न्यूनतम रू 0-4.70 करोड़	रू 0 2.00 करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.	जनपद बहराईच में चित्तौरा झील के निकट महाराजा सुहेलदेव की अश्वारोही ब्रान्ज प्रतिमा (40 फीट) का निर्माण	न्यूनतम रू 0-4.70 करोड़	रू 0 2.00 करोड़
3.	जनपद चित्रकूट में लालापुर में बाल्मीकि आश्रम में महर्षि बाल्मीकि की बैठी हुई 12.5 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण	न्यूनतम रू 0-19.95 लाख	रू 0-19.95 लाख
4.	जनपद महोबा में गोरखगिरि हिल पर 51 फीट ऊंची गुरू गोरखनाथ जी की कांस्य प्रतिमा का निर्माण	न्यूनतम रू 0-3.40 करोड़	रू 0 1.00 करोड़

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत प्रायोजना हेतु महानिदेशक, पर्यटन के प्रस्तावानुसार निम्नवत् सारणी के अनुसार रू0 540.00 लाख (रू0 पांच करोड़ चालीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि निदेशालय स्तर से विद्यमान वित्तीय नियमों/व्यवस्थाओं के अधीन वास्तविक लागत के आधार पर धनराशि अवमुक्त की जायेगी एवं यदि कार्यो में कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा करा दिया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	**प्रतिमा का विवरण**	**प्रस्तावित न्यूनतम लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवशेष अवमुक्त जाना धनराशि**
1	2	4	5	6
1.	जनपद प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान श्री राम एवं गुहराजा निषादराज के गले मिलते हुये 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा	न्यूनतम रू 0-4.70 करोड़	रू 0 2.00 करोड़	रू 0-2.70 करोड़
2.	जनपद बहराईच में चित्तौरा झील के निकट महाराजा सुहेलदेव की अश्वारोही ब्रान्ज प्रतिमा (40 फीट) का निर्माण	न्यूनतम रू 0-4.70 करोड़	रू 0 2.00 करोड़	रू 0-2.70 करोड़
				योग - रू0 5.40 करोड़

4- परियोजना हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 30.11.2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 5,40,00,000 (रूपये पांच करोड़ चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-044 के लेखाशीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-514/2022/आई/222526/001- 41-1002(001)/135/2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. जिलाधिकारी, प्रयागराज/बहराईच।
5. निदेशक, संस्कृति विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. सचिव, राज्य ललित कला अकादमी, उ0 प्र0, लखनऊ।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पी0सी0एल0/सी0 एण्ड डी0एस0, लखनऊ।
10. सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।
11. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक पर्यटन निदेशालय, लखऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7, 9, व 10 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. वेब अधिकारी, पर्यटन अनुभाग, उ0 प्र0 शासन।
14. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in